



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2015 एवं I.S.O.-14001-2015 प्रमाणित संस्था

पत्रांक 213 / प्रवर्तन जोन-5 / 2024

दिनांक 12/01/2024

परिशिष्ट-3 प्रपत्र-‘ब’/भाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र

(आवेदन पत्र परिशिष्ट-3, प्रपत्र ‘ब’ भाग-अ, ब एवं स के क्रम में)

मै0 अग्रवाल एसोसिएट(प्रमोटर्स) लि0 द्वारा विकसित की गई इन्टीग्रेटेड टाउनशिप आदित्य वर्ल्ड सिटी ग्राम शाहपुर बम्हैटा, परगना-डासना, एन0एच0-24 तहसील व जिला गाजियाबाद के अन्तर्गत सेक्टर-03, भू0सं0-जी0एच0-05 के स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0-GDA/LD/22-23/1153 दिनांक 23.03.2023 के अन्तर्गत विकासकर्ता द्वारा निर्मित/विकसित सेक्टर-03, भू0सं0-जी0एच0-05 के विकास कार्यो का सम्पूर्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 04.01.2024 को प्रदान की गयी स्वीकृति के क्रम में पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

नोट:-

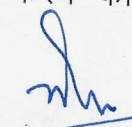
सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र के पृष्ठ भाग पर शर्त/प्रतिबन्ध संख्या-1 से 9 के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(सुशील कुमार चौबे)
प्रभारी प्रवर्तन जोन-5

शर्तें

1. अग्निशमन विभाग से अग्नि सुरक्षा के उपकरणों के क्रियाशील होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित समस्त प्राविधानों के पालन करने की जिम्मेदारी बिल्डर/आर0डब्लू0ए0 की होगी तथा शिथिलता बरतने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/आर0डब्लू0ए0 की होगी। नियमानुसार इसके अनुपालन की सूचना से प्राधिकरण को भी सूचित करना होगा।
2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/आर0डब्लू0ए0 की होगी तथा इसकी किसी भी समय जाँच करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।
3. विद्युत विभाग द्वारा जारी अनापत्ति की समस्त शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. समस्त रोपित वृक्षों के रख-रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी आर0डब्लू0ए0/बिल्डर की होगी।
5. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जायेगा अन्य कोई उपयोग मान्य नहीं होगा।
6. किसी भी विपरीत परिस्थिति में निर्माणकर्ता की लापरवाही से होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता का होगा।
7. यदि प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बड़े हुए विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क की माँग की जाती है तो वह शुल्क निर्माणकर्ता/आर0डब्लू0ए0 को प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
8. नियमानुसार आर0डब्लू0ए0 के गठन एवं आर0डब्लू0ए0 को सभी सुविधाओं सहित हस्तान्तरण तक समस्त सुविधाओं आदि का अनुरक्षण निर्माणकर्ता द्वारा ही कराया जायेगा।
9. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/आर0डब्लू0ए0 की होगी तथा इसकी किसी भी समय जाँच करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।


अवर अभियन्ता


10/01/24
सहायक अभियन्ता